

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक -

सं०सं०-16/ए.1-16/2019-

/डा० जितेन्द्र प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागाँव, सोनपुर, सारण के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सिविल सर्जन, सारण (छपरा) एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल छपरा के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही, भंडार के औषधियों का गलत उपयोग, आदेश की अवहेलना तथा कार्य में स्वेच्छाचारित का दोषी पाये जाने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत डा० जितेन्द्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा० प्रसाद का मुख्यालय, जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार का कार्यालय रहेगा।
3. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम -10 के तहत इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक -16/ए.1-16/2019-1083(आ.प्रि.) पटना, दिनांक -19.8.2019

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सारण/सिविल सर्जन, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० जितेन्द्र प्रसाद, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागाँव, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्वाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव